रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1987/माघ 10, 1908
No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JAN. 30, 1987/MAGHA 10, 1908

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1987

शुद्धि-पत्र

फाइल संख्या आर-43011/2/82-एल. डब्ल्यू/आर. डब्ल्यू :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के दिनांक 7 फरवरी, 1985 के संकल्प संख्या आर-43011/2/82-एल. डब्ल्यू. में पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा :—

"4. त्रिपक्षीय अध्ययन, दल अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1987 को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।"

ए. के. श्रीवास्तव, महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th January, 1987

CORRIGENDUM.

File No. R-43011|2|82-LW|RW.—In the Ministry of Labour Resolution No. R-43011|2|82-LW, dated the 7th February, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section-1, for para 4, the following paragraph will be inserted :

"4. The Tripartite Study Group will submit its report on or before 30th April, 1987.

A. K. SRIVASTAVA, Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987